माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. /2016/निगरानी

R 71 - I-17-

गुल्लू अहिरवार तनय थुमना अहिरवार निवासी बैरवार हाल निवासी ग्राम किटाखेरा गांधीग्राम तह. जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र

.....निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन .....अनावेदक

1. संतोष रेकवार
2. देवी रेकवार
3. सुरेन्द्र दांगी ग्रम वैरबार तह.जतारा टीकमगढ़ .....तरतीबी अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959

महोदय,

माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता द्वारा माननीय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2016 व प्रकरण क्रमांक 1/स्व./निगरानी/2015–16 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, आवेदन संतोष रेकवार, देवी रेकवार, एवं सुरेन्द्र सिंह दांगी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्रम वैरवार खास की भूमि खसरा नम्बर 1118/3 रकवा 0.567 है. वर्ष 1983–84 के पूर्व शासकीय पठार भूमि दर्ज थी उसके बाद रिकॉर्ड में फर्जी पंजीयन में क्रमांक डालकर उक्त भूमि पर अनावेदक गुल्लू तनय थुमना ने अपना नाम दर्ज करा लिया, जबकि उक्त पंजी क्रमांक 5 शिकायतकर्ता अनुसार उपलब्ध नहीं है।
2. यहकि, तहसीलदार जतारा द्वारा अनावेदक/निगरानीकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया अनावेदक को सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उसकी ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण क्रमांक 128/अ–19 व/1983–84 के आधार पर उसे भूमि खसरा नम्बर 1118/3 का रकवा 0.567 है. स्थित ग्राम वैरवार खास की भूमि

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 71/I/2017 निगरानी जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6—1—2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस.सेंगर एवं अनावेदक की ओर से शासकीय पैनल अधिवक्ता उपस्थित, आवेदक द्धारा यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा प्रकरण कमांक 1/स्व.निग./2015—16 में पारित आदेश दिनांक 6—5—2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता—1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि,ग्राम वैरवार खास की भूमि खसरा नम्बर 1118/3/क रकवा 0.567 हैक्टर भूमि का 39 रूपये प्रीमियम के लगान के जमा करने के उपरान्त अतिरिक्त तहसीलदार जतारा ने रसीद कमांक 43/38/91 द्वारा राशि जमा कराकर प्रकरण कमांक 128/अ—19 व/1983—84 में पारित आदेश दिनांक 24—3—1984 को आवेदक के पक्ष में पट्टा प्रदान किया गया। तभी से आवेदक उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। एक शिकायती आवेदन पत्र शिकायतकर्ता द्वारा आवेदक के विरूद्ध तहसीलदार जतारा के समक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि ग्राम बैरवार खास की भूमि खसरा नम्बर 1118/अ/क रकवा 0.567 हैक्टर पर वर्ष 1983—84 में गुल्लू अहिरवार द्वारा अपना नाम फर्जी पंजी का कमांक डालकर भूमिस्वामी दर्ज करा कर कई लागों को विकय कर दिया गया है। जिस पर से अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा	

उक्त शिकायत के आधार पर प्र0क0 1/स्व.निग./2015—16 दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 6—5—2016 पारित कर उक्त भूमि को म.प्र. पठार में दर्ज करने का आदेश देते हुये साथ ही उक्त मामले में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश पारित किया गया। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि,आवेदक को प्र0क0 128/अ—19 व/83—84 में पारित आदेश दिनांक 24—3—1994 को पट्टा प्रदान किया गया है आवेदक का नाम म.प्र.शासन द्वारा प्रदान किये गये समस्त दस्तावेजों में दिनांक 24—3—1984 से दर्ज है रसीद कमांक 43/38/91 द्वारा लगान जमा कर रसीद प्राप्त की गयी है। इस कारण उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि, माननीय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों की अनदेखी कर भू—अधिकार पुस्तिका व अन्य संबंधित दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना आलौच्य ओदश पारित किया गया है।

जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्छिया एस.एस.सी.—44 में यह मत निर्धारित किया है कि

स्वप्रेरणा निगरानी की प्रकिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीश एस.के.गंगले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म. प्र.राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होनें आवेदक के पक्ष में किया गया तहसीलदार जतारा द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

4— अनावेदक के अधिवकता द्वारा तर्क दिया गया कि, आवेदक कभी भी वादग्रस्त भूमि पर काबिज नहीं रहा इस कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से इसी स्तर पर समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार जतारा ने प्र0क0128/अ—19 व/1983—84 में पारित आदेश दिनांक 24—3—1984 को आवेदक के पक्ष में विधिवत पट्टा प्रदान किया गया। तभी से आवेदक उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। तहसीलदार द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया, कि ग्राम बैरवार खास स्थित भूमि खसरा नम्बर 1118/3/क रकवा 0.567 हैक्टर पर पटवारी रिकार्ड अनुसार वर्ष 1983—84 का हवाला देते हुये आवेदक गुल्लू अहिरवार को भूमि स्वामी दर्ज किया गया है। आवेदक कॉलम

न. 3 में भूमि स्वामी दर्ज रहा है। अपर कलेक्टर द्वारा वर्ष 2016 में मात्र शिकायत के आधार पर प्रकरण को स्व. निगरानी में लिया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित प्रश्नागत आदेश किसी भी दृष्टि से स्थिर रखे जाने येाग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–5–2016 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार जतारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–3–1984 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर